SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Birendra Prasad Baishya to associate with this matter. ...*(Interruptions)*... दोनों सदस्य एक ही प्रदेश से हैं, वहां स्थिति गंभीर है, इसलिए उनको मौका दिया। उन्होंने पहले मुझे लिख कर भी दिया है।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, the situation there is very critical. Today, twenty-eight Districts of Assam are facing heavy floods. Already nine people have lost their lives and many people are still missing. Sir, in Assam, everywhere there is water, water and only water but, there is scarcity of drinking water! People are crying even for a single drop of water. From its side, the Assam Government has provided all assistance, and, already, an amount of 100 crore of rupees has been spent on the relief work. Today, the situation is worse. Many parts of Assam are totally cut from the rest of the country. Railway and road communication is totally destroyed. Sir, through you, I am requesting the Government and the nation to look after the people of Assam at this critical juncture. And provide help to flood affected people. I would like to request the Government to declare flood problem a national problem of the country.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

Selection process of judges of High Courts and Supreme Court

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तम्भ होते हैं- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मान्यवर, विधायिका का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। लाखों लोग विधायिका के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और यह बड़ा ट्रांसपेरेंट चुनाव है। मान्यवर, कार्यपालिका का चुनाव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है और वे पूरी योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं। मान्यवर, जो हमारा तीसरा प्रमुख स्तम्भ है, वह न्यायपालिका है। इसमें चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। इनमें चयन की एक प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान में दी गई है, संविधान का Article 124 deals with the appointment of Supreme Court Judges. It says that the appointment should be made by the President after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts as the President may deem necessary. The CJI is to be consulted in the appointment process except his/her own. मान्यवर, आर्टिकल 217 में, जो हाई कोर्ट के जजेज़ की नियुक्तियों के संबंध में है- Article 127 deals with the appointment of Supreme Court Judges. It says

that a Judge should be appointed by the President after consultation with the CJI and the Governor of the State. The Chief Justice of the High Court concerned too should be consulted. यह व्यवस्था की गई है। मान्यवर, एक नई व्यवस्था न्यायपालिका के चयन में कोलेजियम की है। मान्यवर, हमारे संविधान में कोलेजियम जैसे शब्द की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यह कोलेजियम है क्या? और आज कोलेजियम के माध्यम से ही सारे चयन हो रहे हैं। It is a system under which appointment and transfer of Judges are decided by the forum of the Chief Justice of India and the four-most Judges of the Supreme Court. It has no place in the Indian Constitution. मान्यवर, अगर आप देखें कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने..

श्री सभापति: व्यक्तिगत रूप में किसी का नाम नहीं लेना।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वहां के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आज उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों मे जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की तरह से छा गया है, योग्यता के आधार पर चयन नहीं हो पा रहा है, सामान्य परिवार का लड़का चाहे जितना मेधावी हो, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं है, केवल चंद परिवारों के लोगों को ही अधिकार प्राप्त है कि वे हाई कोर्ट के जज और उसके बाद elevate होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं।

श्री सभापति: आपका सुझाव क्या है?

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से स्टेट जुडिशियल सर्विसेज़ हैं, प्रत्येक राज्य में वहां की स्टेट जुडिशियल सर्विसेज़ हैं। वहां से चयनित होकर ही वे स्टेट सर्विस में आते हैं। इसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हायर जुडिशियल सर्विसेज़ हों, जिस तरह से आई.ए.एस. और पी.सी.एस. की सेवाएं हैं, उसी तरह से हायर जुडिशियल सर्विसेज़ हों, उनमें योग्य राष्ट्रीय स्तर पर, देश भर के मेधावी जो विधिक छात्र हैं, वे आएं और वे आगे प्रमोट होकर, elevate होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ बनें, जिससे कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ...

श्री सभापति: ठीक है। हो गया। How do we include the names of the Members of the entire House for association? ...*(Interruptions)*... All the Members are of the same opinion. ...*(Interruptions)*... We need to discuss it during one of our discussions, particularly on the issue of Judiciary, Legislature and Executive, their powers and limitations, and then what is happening and all. That has to be discussed one day.

SHRI RAJMANI PATEL (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

Decline in household savings in the country

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Sir, household savings have dwindled from 23.6 per cent in 2011-12 to 17.2 per cent in 2018-19. Augmenting revenues in the days of dwindling savings is a daunting task. There are some innovative ideas for boosting revenue and those have been put by an unknown author in the form of a poem. This is a serious business. I hope the hon. Minister as well as the House will take it seriously. The ideas in the poem are:

Tax his land, tax his wage,
Tax his bed in which he lays.
Tax his tractor, tax his mule,
Teach him taxes are the rule.